

प्री प्राइमरी से जूनियर हाईस्कूल तक अंग्रेजी माध्यम

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बलिया

आदेश संख्या : 13113-17 / 2015-16  
प्रबन्धक,

दिनांक: 25-5-2016

इन्द्रासन मेमोरियल जनसहयोग कालेज  
नवापुरा, रसड़ा  
शिक्षा क्षेत्र- रसड़ा /  
जनपद- बलिया

विषय- निःशुल्क और बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

प्रिय महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 20.08.2014 और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से, मैं इन्द्रासन मेमोरियल जनसहयोग कालेज नवापुरा, रसड़ा, शिक्षा क्षेत्र - रसड़ा जनपद- बलिया को कक्षा-1 से कक्षा 8 तक हेतु 01.07.2014 से 30.06.17 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों को पूरा किये जाने के अधीन है:-

1. मान्यता के लिए स्वीकृति विस्तारणीय नहीं है और यह किसी भी रूप में कक्षा 8 के बाद मान्यता/सम्बन्धन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपबन्ध-1) और उ0प्र0 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 (उपबन्ध-2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा-1 में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस में बालकों की संख्या के 25 (पच्चीस) प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों, और सुविधा विहिन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूरित्या प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैंपीटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रिनिंग प्रक्रिया के अध्यक्षीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा-15 के उपबन्धों का पालन करेगा।
7. विद्यालय निम्नलिखित बातों को सुनिश्चित करेगा:-
  - प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
  - किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यक्षीन नहीं किया जायेगा।
  - प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
  - प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 23 के अधीन अभिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण-पत्र दिया जायेगा।
  - अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
  - अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अभिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक-जिनके पास इस अधिनियम के प्रास्भ पर न्यूनतम अर्हतायें नहीं है। पाँच वर्ष के अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताए अर्जित करेंगे।
  - अध्यापकों अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है।

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,  
बलिया।

सेवा में,

प्रबन्धक,

संज्ञक संसाधक प्रमुख, जकापुरा, तहसील

पत्रांक

/ 3309-13

/ 2014-15

दिनांक 30-6-2017

विषय:

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन हेतु उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के नियम-11 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं०- 442/79-6-2011 दिनांक 19 मई 2011 के अनुपालन में आपके विद्यालय का कक्षा ~~7~~ से कक्षा 08 तक दिनांक 01.07.2014 से दिनांक 30.06.2017 तक तीन वर्षों की अवधि के लिए औपबन्धिक मान्यता सम्प्रेषित किया गया था।

उक्त के सम्बन्ध में आप द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर क्षेत्रीय खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा की गयी जांच एवं संस्तुति के उपरान्त शासन द्वारा निर्गत राजाज्ञा सं०-418/79-6-2013-18 एस(7)/79 दिनांक 8 मई 2013 के प्रस्तर 15 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत एतद्वारा कक्षा ~~7~~ से कक्षा 08 तक की औपबन्धिक मान्यता प्रदान की जाती है उक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के भविष्य में विद्यमान रहने के अधीन होगी।

1. मान्यता के लिए स्वीकृति विस्तारणीय नहीं है और यह किसी भी रूप में कक्षा 8 के बाद मान्यता/सम्बद्धता प्रदान करने के दायित्व को विवक्षित नहीं करता है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 (संलग्नक-2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा एक में, (यदि स्थिति नर्सरी कक्षा में) उक्त कक्षा की सदस्य संख्या के 25 प्रतिशत तक पास-पड़ोस के कमजोर वर्ग और साधनहीन समूह के बालकों को प्रवेश देगा और इनकी शिक्षा पूर्ण होने तक निःशुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध करायेगा, परन्तु अग्रतर यह कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के मामले में भी इस सन्धियम का पालन किया जायेगा।
4. प्रस्तर के तीन में सन्दर्भित बालकों के लिए विद्यालय यदि अधिनियम की धारा 12 (2) के अधीन आच्छादित हो तो विद्यालय को तदनुसार प्रतिपूर्ति दी जायेगी। ऐसी प्रतिपूर्तियों को प्राप्त करने के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता उपलब्ध करायेगा।
5. समिति/विद्यालय कोई प्रतिव्यक्ति शुल्क संग्रह नहीं करेगा और बालक अथवा उसके माता-पिता या अभिभावक को किसी जांच प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय प्रवेश से वंचित नहीं करेगा—  
(क) बालक का आयु-प्रमाण न होने पर,  
(ख) धर्म, जाति अथवा जस्ल, जन्म स्थान अथवा उनमें से किसी आधार पर।
7. विद्यालय निम्नलिखित बातों को सुनिश्चित करेगा—  
(एक) किसी विद्यालय में प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक प्रवेश दिये गये किसी बालक का किसी कक्षा में नहीं रोका रखा जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।  
(दो) किसी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न का भागी नहीं बनाया जायेगा।  
(तीन) किसी भी बालक से प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं है।  
(चार) प्रत्येक बालक को प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने पर नियम 23 के अन्तर्गत निर्धारण के अनुसार एक प्रमाण पत्र वितरित किया जायेगा।

✓

✓

प्री प्राईपरी से जूनियर हाईस्कूल तक अंग्रेजी माध्यम

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बलिया



आदेश संख्या : 13113-17 / 2015-16  
प्रबन्धक,

दिनांक: 25-5-2015

इन्द्रासन मेमोरियल जनसहयोग कालेज  
नवापुरा, रसड़ा  
शिक्षा क्षेत्र- .....  
जनपद- बलिया

विषय- निःशुल्क और बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

प्रिय महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 20.08.2014 और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से, मैं इन्द्रासन मेमोरियल जनसहयोग कालेज नवापुरा, रसड़ा, शिक्षा क्षेत्र - .....  
जनपद- बलिया को कक्षा नर्सरी से कक्षा 0.0 तक हेतु 01.07.2014 से 30.06.17 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों को पूरा किये जाने के अधीन है:-

1. मान्यता के लिए स्वीकृति विस्तारणीय नहीं है और यह किसी भी रूप में कक्षा 8 के बाद मान्यता/सम्बन्धन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपबन्ध-1) और उ0प्र0 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 (उपबन्ध-2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा-1 में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस में बालकों की संख्या के 25 (पच्चीस) प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों, और सुविधा विहिन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तिया प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपीटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा-15 के उपबन्धों का पालन करेगा।
7. विद्यालय निम्नलिखित बातों को सुनिश्चित करेगा:-
  - प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
  - किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्याधीन नहीं किया जायेगा।
  - प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
  - प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 23 के अधीन अभिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण-पत्र दिया जायेगा।
  - अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
  - अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अभिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हतायें नहीं हैं। पाँच वर्ष के अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएँ अर्जित करेंगे।
  - अध्यापकों अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है।

- अध्यापक स्वयं को किसी अध्यापन क्रिया कलाओं में नियोजित नहीं करेंगे।
8. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का अनुसरण करेगा।
  9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा विनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और रानियमों को बनाये रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधायें नियमानुसार है:-
    - विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल-
    - कुल निर्मित क्षेत्र-
    - क्रीड़ा स्थल का क्षेत्रफल-
    - कक्षाओं की संख्या-
    - प्राध्यापक सह कार्यालय- सहभण्डार के लिए कक्ष-
    - बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय-
    - पेयजल-
    - मिड डे मिल पकाने के लिए रसोई-
    - बाधा रहित पहुँच-
    - अध्यापन पाठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपस्कर/पुस्तकालय की उपलब्धता-
  10. विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलायी जायेगी।
  11. विद्यालय भवन या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।
  12. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) में अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
  13. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
  14. लेखाओं की सम्परीक्षा (ऑडिट) और प्रमाणन किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा किया जाना चाहिए और नियमानुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रेषित की जानी चाहिए।
  15. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता सम्बन्धित कोड संख्यांक 462/15-16 है। कृपया इसको ध्यान रखा जाय और इस कार्यालय से किसी भी पत्र व्यवहार के लिए इस संख्यांक को उद्धृत करने का कष्ट करें।
  16. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हों और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों की निरन्तर पूर्ति के सुनिश्चित करने हेतु विद्यालय की कार्य प्रणालियों को दूर करने के लिए जारी किये जायें।
  17. सोसाइटी के नवीनीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाय।
  18. विद्यालय प्रबन्धन/न्यास और कर्मचारी वर्ग समय-समय पर जारी किये गये राज्य सरकार के आदेशों का अनुपालन करेगा।
  19. संलग्न उपलब्ध के अनुसार अन्य कोई शर्त।


भवदीय

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,  
बलिया

पृ0सं0 व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि- निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद।
2. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) आजमगढ़ मण्डल आजमगढ़।
3. जिला समाज कल्याण अधिकारी, बलिया।
4. खण्ड शिक्षा अधिकारी शिक्षा क्षेत्र रुड़, बलिया।



जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,  
बलिया